

समक्ष:- न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प भोपाल म.प्र. ①

क्रमांक-5041/2018/बैतूल/भूरा

पंढरीनाथ पिता छोटे किसन डोले उम्र 50 वर्ष निवासी- भगतसिंह
वार्ड, बास डिपो के पास सदर बैतूल तह. जिला बैतूल म.प्र.

...रिविजनकर्ता

बनाम

1. योगेश्वर पिता भावराव वेदरकर उम्र 35 वर्ष
2. केशोराव पिता भावराव वेदरकर उम्र 40 वर्ष

निवासी समस्त निवासी भगतसिंह वार्ड, बास डिपो के पास सदर बैतूल
तह. जिला बैतूल म.प्र.



...गैररिविजनकर्तागण

रिविजन अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भूरा. सहिता 1959

रिविजनकर्ता की ओर से निवेदन है। "प्रकरण का सार"
रिविजन कर्ता यह रिविजन माननीय तहसीलदार महोदयज बैतूल के द्वारा
योगेश्वर बनाम पंढरीनाथ राजस्व प्रकरण क्रं. 153 बी. 121 वर्ष 2014-2015 में
पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 11.07.2018 से दुखी होकर यह रिविजन
माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है। जिसमें उसे सफल होने की
पूर्ण संभावना है।

[Handwritten signature]


अधिवक्ता
श्री पी.आर. डोंगरे
जिला बैतूल द्वारा
प्रस्तुत।
19/07/18
A.S.



न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 5041/2018/बैतूल/भू0रा0

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25-10-18	<p>आवेदक अनुपस्थित । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । उभयपक्ष दिनांक 27-12-2018 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । आवेदक सूचित हो ।</p>	<p> (मनोज गोयल) अध्यक्ष</p>